


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/23/3831 दिनांक: 09.10.2024
आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 07.06.2024 द्वारा श्री सुनील कुमार पुत्र श्री डाल चन्द बैरवा पार्षद वार्ड सं. 14 को नगर परिषद सवाईमाधोपुर के सभापति पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था, जिसको पुनः विभागीय आदेश दिनांक 05.08.2024 द्वारा हेतु 60 दिवस बढ़ाया गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (iv) (क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुनील कुमार पुत्र श्री डाल चन्द बैरवा पार्षद वार्ड सं. 14 को नगर परिषद सवाईमाधोपुर में सभापति के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कुमार पालि गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
दिनांक: 09.10.2024

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/23/ 3832- 3843
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर/जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी